UPBP010018002026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/द्रुतगामी न्यायालय (महिलाओं के विरुद्ध अपराध), बलरामपुर।
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-650/2026
सी०एन०आर० संख्या- यू०पी०बी०पी० 010018002026

उमेश केवट उम्र करीब 28 वर्ष पुत्र सीताराम उर्फ सिताऊ निवासी ग्राम हतवा नवाबगंज गिर्द थाना नवाबगंज जमपद गोण्डा।

.....आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उ०प्र०राज्य .....विपक्षी।

मुकदमा अपराध सं०–134/2024
धारा– 328, 413, 394 भा०दं०संहिता
थाना–कोतवाली देहात
जनपद–बलरामपुर।

दिनांक-02.06.2026

1. प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आवेदक/अभियुक्त उमेश केवट की ओर से अपराध संख्या–134/2024 अन्तर्गत धारा–328, 413, 394 भा०दं०संहिता थाना–कोतवाली देहात, जनपद बलरामपुर के प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है। उक्त जमानत प्रार्थना पत्र शपथी दिनेश के शपथ पत्र से समर्थित है।

2. शपथ पत्र के अनुसार आवेदक/अभियुक्त का प्रश्नगत मामले में यह प्रथम जमानत आवेदन है, इस जमानत आवेदन के अलावा अन्य कोई जमानत आवेदन न तो इस न्यायालय में न ही समकक्ष न्यायालय में न मा० उच्च न्यायालय में न प्रस्तुत हुआ, न निरस्त हुआ है और न ही विचाराधीन है।

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी/सूचनाकर्ता रामप्रकाश यादव ग्राम–सिकौथा थाना–त्रिलोकपुर जनपद–सिद्धार्थनगर का स्थायी निवासी है तथा मुंबई में रोजगार करता है। दिनांक 21.02.2024 को वादी कुशीनगर एक्सप्रेस से गोण्डा स्टेशन आया और वहां से जीप से बलरामपुर आया। सुबह के करीब 07 बजे होंगे। एक मोटरसाइकिल सवार अज्ञात व्यक्ति वीर विनय चौराहे पर मिला, जिसके द्वारा विस्कोहर जाने की बात बताई गई। वादी उसकी मोटरसाइकिल पर बैठ गया तथा एक साथी और आया जो पीछे मोटरसाइकिल पर बैठ गया। वादी को बेलहा के पास एक चाय की दुकान पर चाय पिलाया और इसी दौरान उसके मोबाइल के लॉक का पैटर्न देख लिया। वादी का मोबाइल नम्बर 9702492667 है। चाय पीकर विस्कोहर की तरफ जाते हुए उसे पेशाब लग गई और वह पेशाब करके गाड़ी में बैठ गया। उसका बैग मोटरसाइकिल की डिग्गी में था, जिसमें रखा चालीस हजार रूपये नगद धोखाधड़ी करके निकाल लिया तथा उसके मोबाइल को लेकर एस०बी०आई० बैंक शाखा इटवा एवं

पंजाब नेशनल बैंक शाखा–गीता श्री महाराष्ट्र के खाते से दो लाख बारह हजार रूपया यू०पी०आई० के माध्यम से निकाल लिया। वादी के उक्त आशय के प्रार्थनापत्र के आधार पर दिनांक 07.03.2024 को थाना कोतवाली देहात, बलरामपुर में धारा–406, 420 भारतीय दंड संहिता के तहत मुकदमा पंजीकृत हुआ। विवेचना के दौरान दिनांक 21.06.2024 को थाना कोतवाली नगर की पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त लवकुश दूबे को अपाची मोटर साइकिल के साथ पकड़ा गया तथा उसका एक साथी मौके से भाग निकला। पूछताछ करने पर अभियक्त लवकुश दूबे ने भागने वाले व्यक्ति के रूप में सह–अभियुक्त उमेश केवट की अपराध में संलिप्तता प्रकट करते हुए बताया कि वह दोनों मिलकर राहगीरों को झांसा देकर चाय व बिस्कुट में जहर देकर उनका सामान आदि चोरी करने का कार्य करते हैं। इसी क्रम में वर्तमान प्रकरण में उन्होंने दिनांक 21.02.2024 को बेलहा मोड से एक व्यक्ति से 40 हजार रूपये नकद ले लिया था तथा मोबाइल फोन से 2,12,000/– रूपये ट्रान्सफर उमेश द्वारा किया गया था। उक्त आशय की फर्द के आधार पर प्रकाश में आए अभियुक्तगण लवकुश दूबे व उमेश केवट को वर्तमान प्रकरण में नामित किया गया और वादी के मजीद बयान के आधार पर प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा–328, 413, 394 भा०दं०संहिता विवेचना प्रचलित है।

4. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत का आधार दिया गया कि कथित कथित घटना दिनांक 21.02.2024 के 7:00 बजे की कही जाती है और प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 07.03.2024 को समय करीब 16:00 बजे अंकित करायी जाती है, जो अतिविलम्ब से है जिसका कोई स्ष्टीकरण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नही है।आवेदक/अभियुक्त को उक्त मुकदमें में पुलिस द्वारा फर्जी रूप से अपने उच्चाधिकारियों को गुडविल दिखाने के आशय से नामित किया गया है। आवेदक/अभियुक्त कथित अभियोग में नामित अभियुक्त नही है। वादी द्वारा यह भी कहा जाता है कि वह मुम्बई से आकर अपने घर त्रिलोकपुर जाने के लिये जो लगभग 100 कि0 मी0 की दूरी पर है एक अन्जान मोटर साइकिल पर बैठकर जाना और जबकि उसके पास इतना भारी मात्रा में नकद पैसों का होना स्वयं में संदेहास्पद है। जब वादी को त्रिलोकपुर जाना था तो उसे बढ़नी तक रेलवे सुविधा उपलब्ध होने के बाद गोण्डा के रास्ते होते हुये बलरामपुर जाने का कोई औचित्य नहीं था। आवेदक/अभियुक्त को उपरोक्त अभियोग में सहअभियुक्त के बायान के आधार पर नामित किया गया है। आवेदक/अभियुक्त के पास से कोई बरामदगी नही है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कोई ऐसा कार्य नहीं किया गया है जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 328,394,413 भा०दं०सं० की परिधि में आता हो। कथित घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी / प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। उपरोक्त अभियोग के सहअभियुक्त की जमानत पूर्व में मा० न्यायालय द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है, प्रार्थी समानता का अधिकारी है। आवेदक/अभियुक्त को कभी किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध नहीं किया गया है। आवेदक/अभियुक्त की जमानत गॉव इलाके के संभ्रान्त लोग लेने को तैयार है। आवेदक/अभियुक्त जमानत की शर्तों का दुरूपयोग नहीं करेगा। उपरोक्त कथनों के आधार पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गई है।

5. राज्य की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कथन किया गया कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा सहअभियुक्त के साथ मिलकर वादी रामप्रकाश यादव को अपनी मोटरसाइकिल से विस्कोहर पहुचाने की बात कहकर ले गये और रास्ते में उसे चाय में नशे की दवा मिलाकर उसे पिलाकर पर उसके बैग में रखा 40,000/- रूपये नकद ले लिया था तथा छलपूर्वक मोबाइल फोन के माध्यम से उसके बैंक खातों से 2,12,000/- रूपये ट्रान्सफर कर लिया। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध उक्त प्रकरण के अन्य आपराधिक वाद भी दर्ज हैं। अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने से दोबारा चोरी, लूट जैसी घटनाएं कारित किये जाने अथवा साक्ष्य प्रभावित किये जाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः जमानत प्रार्थना निरस्त किये जाने योग्य है।

6. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना गया तथा केस डायरी का अवलोकन किया गया।

7. केसडायरी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अभियुक्त पर चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर वादी मुकदमा को पिलाकर उसके चालीस हजार लूटने व धोखाधड़ी करके उसके मोबाइल फोने के माध्यम से उसके खाते से दो लाख बारह हजार निकाल लेने व ऐसे ही कई मामलों में चोरी का माल प्राप्त करके उसे बेचकर स्वंय के उपयोग में पैसे खर्च करने का आरोप है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि प्रश्नगत मामले में सहअभियुक्त लवकुश दूबे की जमानत माननीय सत्र न्यायाधीश, बलरामपुर द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1057/2024, अपराध संख्या–134/2024, अन्तर्गत धारा–328, 406, 420 भा०दं०संहिता के तहत समान तथ्यों प्रदान की जा चुकी है। कथित सहअभियुक्त की भूमिक आवेदक/अभियुक्त के समान ही है परन्तु विवेचक द्वारा मात्र अभियुक्त के विरुद्ध मामले को गम्भीर बनाने हेतु उसके विरुद्ध धारा में परिवर्तन किया गया है। आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित धारा–394 व 413 का आरोप बिल्कुल भी आयत नहीं होता है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियोजन द्वारा अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया है। प्रश्नगत मामले में अभियुक्त दिनांक –11.05.2026 से जिला कारागार अयोध्या में निरुद्ध है। अभियुक्त के विरुद्ध विवेचना प्रचलित है।

अतः मामले के उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुण–दोष पर विचार व्यक्त किये बिना अभियुक्त को सशर्त जमानत पर अवमुक्त किये जाने का आधार पर्याप्त है तथा जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त उमेश केवट की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–134/2024 अन्तर्गत धारा–328, 413, 394 भा०दं०संहिता थाना–कोतवाली देहात, जनपद बलरामपुर के प्रकरण में प्रस्तुत उक्त जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु0-50,000/- रूपये

(पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा इसी धनराशि के दो सक्षम प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन दौरान मुकदमा रिहा किया जाता है।

1- आवेदक/अभियुक्त जमानत से रिहा होने के पश्चात, 30 दिन के भीतर प्रश्नगत मामले में उसके द्वारा चोरी की गई कथित धनराशि 2,12,000/-रुपये वादी मुकदमा को वापस करने के पश्चात न्यायालय को सूचित करेगा। यदि उसके द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो न्यायालय उसकी जमानत निरस्त करने हेतु स्वतंत्र है। वादी मुकदमा को निर्देशित किया जाता है कि यदि आवेदक/अभियुक्त प्रश्नगत मामले में विवेचना के उपरान्त साक्ष्य के अभाव में उसकी संलिप्तता दर्शित नहीं होती है अथवा विचारण/निर्णय के उपरान्त आवेदक/अभियुक्त दोषमुक्त पाया जाता है, तो वादी मुकदमा उक्त समस्त धनराशि तत्समय बचत खाते के न्यूनतम ब्याज दर के साथ आवेदक/ अभियुक्त को वापस करेगा।

2. अभियुक्त विचारण में अनावश्यक विलम्ब कारित नहीं करेगा यदि उसके द्वारा ऐसा किया जाता है, तो न्यायालय उसकी जमानत निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में विचार करेगी।

3. आवेदक/अभियुक्त उस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरणा नहीं करेगा, धमकी या वचन नहीं देगा या साक्ष्य को नहीं बिगाड़ेगा।

इस आदेश की एक सॉफ्ट कॉपी आज ही ई–मेल द्वारा सम्बन्धित जेल अधीक्षक के माध्यम से आवेदक/अभियुक्त को प्रेषित की जाए।

दिनांक–02.06.2026

(**सुमित प्रेमी**)
अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०,
(महिलाओं के विरुद्ध अपराध)
बलरामपुर।
JO Code- UP 1774

Digitally signed by SUMIT PREMI
Date: 2026.06.02 17:17:59 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court